माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : सूचना / परीक्षा–II / 2026 / संस्था / 207 दिनांक : 10/7/2026

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमाक–175 दिनांक 15.06.20026 से पूर्व के समस्त प्रकरणों में संशोधन हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह का समय दिया जाता है, इसके पश्चात् इस तरह के संशोधन हेतु आदेश दिनांक 15.06.2026 की निर्धारित समय सीमा लागू रहेगी। कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 175 दिनांक 15.06.2026 व 191 दिनांक 01.07.2026 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन हेतु आदेश जारी किया जाता है:–

क्र. सं.	त्रुटि विवरण	प्रस्तावित प्रावधान	पत्रावली निस्तारण
1.	i. नाम, उपनाम आदि की वर्तनी, स्पेस हटाना व लगाना व MS/KUM. इत्यादि ii. उपनाम जोड़ना, हटाना, उपनाम में संशोधन (नवीन रूप से प्रथम बार जोड़ने/हटाने हेतु) परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष तक में सुधार संबंधी नियम	बोर्ड की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा के परीक्षार्थी के प्रार्थना पत्र, शाला प्रलेखों की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक की परस्पर समानता के आधार पर सशुल्क संशोधन किया जा सकेगा। 1. विद्यालय के मूल प्रलेख मंगवाने की आवश्यकता नहीं है।	i. सहायक निदेशक (EX-II) ii. उपनिदेशक (EX-II)
2.	माता का नाम जोड़ना	माता का नाम बोर्ड प्रलेखों में वर्ष 2001 से पहली बार जोड़ा गया था। जो स्वैच्छिक था। कोई भी एक साक्ष्य शपथ पत्र व शाला प्रधान द्वारा विद्यालय प्रलेखों के आधार पर प्रमाणीकरण करने पर जोड़ा जा सकेगा।	मुख्य परीक्षा नियंत्रक
3.	बोर्ड प्रलेखों में भिन्नता (बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में) नाम व उपनाम व जन्मतिथि में भिन्नता होने पर समानता किया जाना	शाला रिकार्ड के अनुसार शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रलेखों के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा। विद्यालय के मूल प्रलेख मंगवाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जन्मतिथि के लिये मूल प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे। इस हेतु प्रवेश आवेदन पत्र, टी.सी. व एस.आर. प्रस्तुत करने होंगें।	मुख्य परीक्षा नियंत्रक
4.	वर्तनी, स्पेस एवं नाम, पिता का नाम , माता का नाम/उपनाम व जन्मतिथि मे संशोधन (बोर्ड त्रुटि की स्थिति में) विगत 03 वर्षो तक के संशोधन।	1. बोर्ड स्तर पर बोर्ड परीक्षा आवेदन– पत्र की जांच में रही त्रुटि की पुष्टि होने पर संशोधन विद्यालय पत्र एवं विद्यालय पत्र एवं प्रमाणित शाला अभिलेखों के आधार पर संशोधन निःशुल्क किया जायेगा।	त्रुटि अनुसार सक्षम स्तर पर

संशोधन शुल्क– संशोधन हेतु संशोधन शुल्क रूपये 300/– प्रति त्रुटि (प्रति परीक्षा) पूर्व वर्ष के लिए रूपये 100/– प्रति वर्ष विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सचिव

क्रमांक : सूचना / परीक्षा–II / 2026 दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय ।
2. निजी सचिव, सचिव, मा.शि.बो., अजमेर।
3. निजी सहायक, विशेषाधिकारी परीक्षा।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।
5. निजी सहायक, मुख्य परीक्ष नियंत्रक।
6. निजी सहायक, निदेशक–परीक्षा।
7. उप निदेशक परीक्षा– I / परीक्षा–II / गोपनीय।
8. [illegible]